न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114/2021

प्रेमलता आयु 30 वर्ष पत्नी इन्द्रपाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
वादीगण

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र भागुराम जाति जाट आयु 48 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. धर्मपाल पुत्र भागुराम जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. हरिसिंह पुत्र मगाराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. प्रतापसिंह पुत्र मगाराम जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. सहदेव पुत्र गंगादान खरण आयु 32 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. बजरंगलाल पुत्र नारायणराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. कन्हैयालाल पुत्र पीरूराम जाति जाट आयु 48 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. मोहरी पत्नी पीरूराम जाति जाट आयु 75 वर्ष निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
11. आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा झुझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एवं खुलवाये जाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

निर्णय

निर्णय दिनांक 30.03.2022

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि :–

1. प्रेमलता ने दावा व 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ–साथ प्रस्तुत किया है। धारा 251ए में दावा नहीं होता है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। दावा में विवाधक तय किये जाते है साक्ष्य लिया जाता है धारा 251ए संक्षिप्त विचारण की प्रकिया है।
2. धारा 251ए के तहत नया रास्ता कायम किया जाता है या प्रचलित रास्ता चौड़ा किया जाता है प्रेमलता का प्रार्थना पत्र या दावा आरम्भ से ही गलत है धारा 251ए के तहत रास्ता खुलवाये जाने की व्यवस्था नहीं है रास्ता खुलवाये जाने की व्यवस्था धारा 251 में है।
3. प्रेमलता ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है मौके पर कटानी रास्ता मौजुद है। प्रेमलता को कोई दावा या प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। दावा विधि द्वारा वर्जित है।
4. भूमि ख0न0 183, 165 व 166 के सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी दावा/प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र/दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मय खर्चा खारीज किया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 यह कहकर पेश किश गश है कि धारा 251क में दावा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है गौरतलब है कि वादिया प्रमलता ने दावा व धारा 251ए आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र दोनो पेश किये है इसके अतिरिक्त वादिया ने रिकार्ड दुरूस्त करके रास्ते की चौड़ाई 20 फीट मानकर राजस्व रिकार्ड में अकंन भी चाहा है राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज व अंकन रिकार्ड दुरूस्ती के माध्यम से ही संभव है इसलिय यह दावा पूर्णतया पोषणीय है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज योग्य हे। इसके अतिरिक्त वादिया ने अपने दावे में प्रतिवादी 1 लगायत अंतिम को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द का अनुतोष भी चाहा है। जो केवल दावे के माध्यम से ही संभव है। मात्र दावे टाईटल में 251ए सहवन से दर्ज होने मात्र से यह दाववा विधि द्वारा वर्जित नहीं हो जाता है। प्रतिवादी के कथनानुसार खसरा नम्बर 183, 165 के सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है न्यायालय उन्हें पक्षकार बनाना उचित समझता है तो कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में पक्षकार बनाया जा सकता है। प्रतिवादी ने वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित बताया है जबकि यह नहीं बताया कि विधि की किस धारा के तहत यह दावा विधि द्वारा वर्जित है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अभिभाषकगणों की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी द्वारा दावा पेश किया गया है अथवा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही ख0न0 165, 166 में रास्ते की मांग की गई है इनके सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है।सड़क के साथ निकलता हुआ रास्ता जो डोटेड लाईन से दर्ज है, के अलावा रास्ते की मांग की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा/प्रार्थना पत्र खारिज करने का श्रम करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) ने दौरान बहस वकील प्रार्थी के कथन पर कथन किया कि हमारा आना जाना ख0न0 165, 166 से होता आया है, राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईनो से दर्ज रास्ते से नहीं। समस्त सह खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी न्यायालय उचित समझे तो प्रकरण में सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में दर्ज तथ्यों एवं उस पर वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर फरमाया। दौराने बहस अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया। वादी द्वारा धोषणार्थ दावा पेश कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की धोषणा चाही गई है अथवा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता चाहा गया है यह स्थिति स्पष्ट नहीं है।

विधि के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसीसुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में नवीन रास्ता दर्ज करने अथवा विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के प्रावधान लागु होते है ना कि धोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती के तहत धारा 88 के प्रावधान। और चुकि धारा 88 के तहत वाद पेश किया जाता है जिसकी प्रकिया अलग है तथा धारा 251ए एक संक्षिप्त प्रकिया है जिसके तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है।दोनो ही प्रावधानों को एक साथ लागु नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत प्रकरण में दोनो प्रावधानों के तहत रास्ते का अनुतोष चाहा गया है जो कि विधि सम्मत नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जाता है। वादी रास्ते का अनुतोष चाहता है तो विधिक प्रावधानों के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर